अप्रार्थी के Ad. समय चाहा।
अतः पत्रावली वास्ते जवाब व बहस प्रार्थना पत्र दिनांक 14.7.17 को पेश हो।

14.7.17 पत्रावली पेश हुई। अभिभावक उभय पक्ष उपस्थित। निगरानीकर्ता के Ad. द्वारा दिनांक 16.3.17 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि विवादित अहाता के संबंध में सिविल न्यायालय व० ख० श्री करणपुर के न्यायालय में वाद विचाराधीन है तथा प्रश्नगत स्थल की यथास्थिति बनाए रखने के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की हुई है। अतः सिविल न्यायालय के अंतिम निर्णय तक निगरानी में कार्यवाही स्थगित की जावे। उक्त प्रार्थना पत्र दि० 16.3.17 पर अप्रार्थी के अधिवक्ता ने कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि विवादित अहाता के संबंध में मा० सिविल न्यायालय, श्रीकरणपुर के न्यायालय में वाद विचाराधीन है तथा प्रश्नगत स्थल के बारे में यथास्थिति की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की हुई है। अतः मा० सिविल न्यायालय, श्रीकरणपुर में वाद विचाराधीन

कार्यालय टिप्पणी

होने के कारण हस्तगत निगरानी प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की जाती है। मा० सिविल न्यायालय, श्रीकरणपुर में विचाराधीन वाद के अंतिम निर्णय के अनुसार निगरानीकर्ता का अधिकार हस्तगत निगरानी में आगामी कार्यवाही के लिए सुरक्षित रहेगा। पत्रावली निर्णित दर्ज कर नम्बर से कम की जावे व बाद तकमील जिला अभिलेखागार में जमा कराई जावे। आदेश सुनाया गया।

कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर